

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 4(31)नविवि / 11 / 2020

जयपुर, दिनांक: 23 JUL 2021

आदेश

श्री संदीप वर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीडा के आदेश दिनांक 18.09.2020 द्वारा निलम्बित किया जाकर मुख्यालय इस विभाग में किया गया था।

श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध विचाराधीन जांच कार्यवाही को प्रभावित किये बिना श्री वर्मा को एतद्वारा तुरंत प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है।

अग्रिम आदेश तक श्री वर्मा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में इस विभाग में अपनी उपस्थिति देगे इनकी निलम्बन अवधि के नियमन के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तिम निर्णय उपरांत गुणावगुण के आधार पर पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियंता।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम